बिहार विधान-सभा वादवृत्त

[भाग—1, कार्यवाही प्रश्नोत्तर]

शनिवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 1980 ई० ।

विषय-सूची ।

		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 4(II) के परन्तुक के अन्तर्गत डा० जगन्नाथ मिश्र (मुख्य मंत्री) द्वारा अष्टम बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र के 230 अनागत ता० प्रश्नों का सभा मेज पर रखा जाना ।	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—1	...	1—5
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 39, 40, 61, 67, 88, एवं 100 ।	...	5—36

चीनी को कारखाने से न हटायगा। विस्तृत प्रक्रिया विहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली, 1978 में वर्णित है।

(3) ईख विभाग द्वारा 56 प्रतिशत कर का भुगतान संबंधित मिल से करा लिया गया है एवं शेष राशि की वसूली भी जारी है। बकाये के लिए सर्टिफिकेट के मुकदमें किये गये हैं।

(4) चूँकि नियमानुसार वसूली के प्रयत्न किये गये हैं, अतः किसी को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता।

नियुक्तियों को रद्द करना।

क-9. श्री ब्रज किशोर नारायण सिंह—क्या मंत्री, लोक निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज लोक निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल के तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की जो नियुक्ति 1980 में की गयी है, की विज्ञापन नियमानुसार नहीं किया गया है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नियुक्तियों को रद्द करना चाहती है?

प्रभारी मंत्री, लोक निर्माण विभाग—उत्तर नकारात्मक है। अधीक्षण अभियंता सारन पथ अंचल लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या 4 दिनांक 6 जून, 1979 द्वारा नियोजन पदाधिकारी, नियोजनालय वैशाली से विज्ञापन प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया था तथा नियोजनालय, वैशाली ने विज्ञापन संख्या 15-20/79 द्वारा सारण अंचल पथ के तृतीय वर्गीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदो पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था और सरकारी परिपत्रों एवं निदेशों को प्रकाश में रख कर ही विहित प्रक्रिया से नियुक्ति की गयी है इसलिए इन्हें रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

"भ्रष्ट पदाधिकारी का स्थानान्तरण"

ओ.5. श्री बंदी शंकर सिंह—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गृह रक्षा वाहिनी के वर्त्तमान महा-समादेष्टा श्री फजल अहमद हैं

(2) क्या यह बात सही है, कि श्री फजल अहमद के ऊपर संदेहात्मक आचरण के कारण उच्चतम न्यायालय द्वारा 1979 में स्ट्रीचर पास किया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि ऐसे भ्रष्ठ पदाधिकारी को अवक्रमित करने के बदले राष्ट्रपति शासन में प्रोन्नति दे दी गयी है;

(4) क्या यह बात सही है कि श्री फजल अहमद के ऊपर निगरानी विभाग द्वारा भ्रष्टाचार के अभियोग पर विगत दो वर्षों से जांच चल रही है;

(5) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को स्थानान्तरण सरकार अन्यत्र करना चाहती है, यदि हां, तो कब तक ?

प्रभारी मंत्री, गृह (विशेष) विभाग—(1) उत्तर स्वीकारात्मक हैं।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) श्री अहमद की प्रोन्नति राष्ट्रपति शासन काल में की गयी है इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभियोग के संबंध में जांच चल रही है।

(4) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(5) श्री अहमद का पदस्थापन वर्त्तमान पद पर अभी तुरत हुआ है इसलिए तत्काल स्थानान्तरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है अभियोग की जांच की समाप्ति के बाद समुचित कारंवाई की जायगी।

थाना प्रभारी सहार पर आरोप।

ए-49. श्री वंदी शंकर सिंह—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत सहार थाना के दुल्लीचक के श्री सोमेश्वर शास्त्री को दिनांक 12 जून, 1980 को थाना प्रभारी सहार एवं आरक्षी निरीक्षक अगिआंव ने घर में घुस कर मार-पीट की है;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस द्वारा श्री शास्त्री के पत्नी एवं बच्चों पर गोली चलायी गई है जिसके लस्वरूप तीन व्यक्ति घायल है;

(3) क्या यह बात सही है कि श्री शास्त्री को भी गोली लगी हुई है;